

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-07/2017

16

पटना, दिनांक- 02/08/17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०),  
निदेशक।

सेवा में,

आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय(मुख्यालय),  
बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, मुंगेर,  
मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ, बेगुसराय, सारण एवं कटिहार।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय योजनागत योजना उपशीर्ष-0406 राजीव  
आवास योजना (क्षमता निर्माण) शीर्ष से निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ  
क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत्यादेश संख्या-1575 दिनांक 21.07.2017 के  
आलोक में ₹53,57,380/- (तीरपन्न लाख सन्तावन हजार तीन सौ अस्सी)  
रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने  
पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल  
से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017  
पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- राजीव आवास योजना/क्षमता निर्माण शीर्ष के अन्तर्गत भारत सरकार के Ministry of Housing and Urban Poverty All alleviation National building organization के पत्र संख्या-G-25011/1/2007-Admn. (NBO) Dated 11.09.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में विमुक्त राशि ₹59.00 (उनसठ लाख रुपये) में से वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय एवं अवशेष राशि के व्यय हेतु प्राप्त पत्रांक-N.11027/43/2007-JNNURM/NBO दिनांक 26.08.2016 के आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश सं०-1575 दिनांक 21.07.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष-0406-राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050406 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 13 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय(मुख्यालय), बिहार, पटना एवं संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

Ran

